

जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी/कार्यालय निदेशक महोदय
राष्ट्रीय शर्करा संस्था
कानपुर, उत्तरप्रदेश

श्रीमानजी,

प्रार्थी निम्नलिखित सूचना जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत पाना चाहता है जिसके अन्तर्गत भारतीय पास्टिल आर्डर नं० 34F658246 दिनांक 23/05/2016 प्रेषित कर रहा है यदि कोई अन्य देय हो तो देन का तैयार है ।

दिनांक 21.02.2003 के तन्दर्भ में आपसे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी तकनीक है जिसके रसायनिक विश्लेषण द्वारा यह पता लगाया जा सके कि शीरा - MOLASSES - छान्तारी ज़ेर से बना है या चीनी मिल से, यदि कोई पदवर्ति हो तो बतायें वह कौन सी है ।

दिनांक: -25-05-2016

संलग्नक: - दिनांक 21.03.2003 को
राष्ट्रीय शर्करा संस्था का पत्र

प्रार्थी
Arundhanis

डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल
पुत्र एच० आर०श्री० अग्रवाल


नि० 12, बी०, उत्तम महानगर
कालोनी पार्क । पोलोमीत वाइयास
थाना इन्जलनगर, बरेली । म. यू०पी०

AMO / Sh. Rajeev

21/6/16
श्रीमानजी
20/06/2016

सूचना देना
उपलब्ध कराते का अर्थ करे

17/6/2016



20/06/2016
वारे 50 रु०

3000
20/6/16

21/6/16
PRC

फाइल संख्या- 25(52)/2015/RTI/58

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई०एस०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता गागले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543
फैक्स : (0512) 2570247

कानपुर, दि०: 28.06.2016

सेवा में,

श्री जितेंद्र अग्रवाल
निवासी -12, B, उत्सव महानगर
कॉलोनी पार्ट I पीलीभीत बाईपास
थाना इज्जतनगर, बरेली यू० पी०

जारी

संख्या - 19

दिनांक 28/6/16

O.P.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के संदर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 03.06.2016 को प्राप्त हुए पत्र में पूर्व में प्राप्त पत्र दिनांक 21.03.2003 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संस्थान में आज की तिथि में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी कोई पद्धति अथवा परीक्षण नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके की Molasses खांडसारी क्रेसर से बना है या Vaccum Pan Sugar Mill से बना है।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अनुसार दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं:-

श्री नरेंद्र मोहन,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,

भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

कानपुर-208017

भारतीय

(संकेत)

(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

O.P.

28/6/16